

## : आदेश :

कोविड-19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन-सुरक्षा हित में यह निर्णय लिया जाना आवश्यक हो गया है। अंतः Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2006 तथा शासन के पत्र संख्या-70/USDMA-792(2020) दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सी0 रविशंकर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद हरिद्वार के नगरीय/ग्रामीण बाजार क्षेत्रों हेतु निम्नवत आदेश निर्गत/पारित करता हूँ:-

1-दिनांक 28 अप्रैल 2021 (बुद्धवार) से दिनांक 03 मई, 2021 (सोमवार) प्रातः 06 बजे तक जनपद हरिद्वार के नगरीय/बाजार क्षेत्र यथा नगर निगम, हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र, नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर निगम रुडकी, का सम्पूर्ण क्षेत्र, कन्टोनमेन्ट बोर्ड (छावनी परिषद्) नगर पंचायत पिरान कलियर, नगर पालिका परिषद् मंगलौर, नगर पंचायत लक्सर, नगर पंचायत भगवानपुर, नगर पंचायत झबरेडा, तथा नगर पंचायत लण्डौरा व तहसील लक्सर में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत, सुल्तानपुर, गोरधनपुर, खानपुर, रायसी, मिक्कमपुर, तहसील हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत, बहादुराबाद बाजार, रावली महदूव बाजार व रोशनाबाद बाजार तथा तहसील रुडकी में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत, नारसन बाजार क्षेत्र में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

2- उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी:-

- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन/घरूँन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
- चिकित्सालयों तथा मेडिकल की दुकाने 24 घण्टे खोलने हेतु छूट प्रदान की जाती है।
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी।
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
- शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों का आवागमन में छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाईयों, तथा इनके वाहनों व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।
- जिन होटल/रेस्टोरेन्टों द्वारा खाने की होम डिलीवरी कि जाती है, उन्हें खाने की होम डिलीवरी किये जाने कि अनुमति प्रदान जाती है, किन्तु ऐसे होटल/रेस्टोरेन्टों में यात्रियों को बैठाकर खाना खिलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।
- अपर रोड हरिद्वार में स्थित खाने के रेस्टोरेन्ट तत्सम्बन्धी एस0ओ0पी0 के अनुपालन के साथ खोले जाने की छूट प्रदान की जाती है।
- शव यात्रा से संबन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे व अस्थि विसर्जन हेतु मात्र 05 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे।
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।



- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
- वारताविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
- दूरसंचार सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत होने के दृष्टिगत 24 घण्टे Intra/Inter-District में आवागमन हेतु छूट प्रदान की जाती हैं।

3- कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

4- उपरोक्त के संबंध में मेरा समाधान हो गया है तथा इतना समय नहीं है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके। इसलिए जन-सुरक्षा हित में एकपक्षीय आदेश आज दिनांक 27.04.2021 को मेरे हस्ताक्षरों व कार्यालय मुहर से जारी किया गया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।



27.4.21  
(सी०रविशंकर)

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट,  
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 10590/13-आ०प्रब०-DEOC/2021-22

दिनांक: 27 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
- 5- अपर जिलाधिकारी प्रशासन/वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
- 7- समस्त उप-जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार/नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार।
- 8- समस्त नोडल/प्रभारी अधिकारी, कोविड-19 जनपद हरिद्वार।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार/रूडकी।
- 10- सहायक श्रमायुक्त, हरिद्वार।
- 11- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
- 12- प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन हरिद्वार/नोडल कोविड-19 कंट्रोल रूम, हरिद्वार।
- 13- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद जनपद हरिद्वार।
- 14- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कलेक्ट्रेट हरिद्वार।
- 15- आपदा प्रबन्धन अधिकारी, हरिद्वार।

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट,  
हरिद्वार।